

राजस्थान सरकार

0169/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा

27-10-22

:: आदेश ::


प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~चांदरास~~ व भू-अगिलेख निरीक्षक ~~चांदरास~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / ~~न्यायालय तहसीलदार~~ ~~मांडल~~ की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~चांदरास~~ पटवार हल्का-~~चांदरास~~ तहसील ~~मांडल~~ व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2077 में खाता संख्या 20 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	चांदरास	20	अम्बुडा पुत्र पन्ना लुहार	अम्बालाल पुत्र पन्ना लाल लुहार

क्रमांक / न्यायालय / 2022/169  
प्रतिलिपि:-

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा।  
दिनांक:- 27-10-22

- 1-तहसीलदार ~~मांडल~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2-प्रार्थी श्री ~~अम्बालालपिता श्री पन्नालाल लुहार निवासी चांदरास तहसील मांडल~~

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा।